न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एम. एल. चौहान, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 34 / 2017 (बांसवाड़ा डिक्री)

1. देवा पुत्र केहरिंग भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. खुमा पुत्र केहरिंग भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. श्रीमती धुली पत्नी केहरिंग भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. कालु पुत्र दीता भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. वरसिंह पुत्र दीता भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. दलसिंह पुत्र दीता भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. उंकार पुत्र नाथू भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. शंभूडा पुत्र नाथू भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. गोतम पुत्र नाथू भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. नरसिंह पुत्र नाथू भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. श्रीमती मईली पत्नी नाथू भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. मणीया पुत्र भाणजी भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
13. प्रभू पुत्र भाणजी भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
14. श्रीमती भूली पत्नी भाणजी भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

15. तोलसिंग पुत्र वालू भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
16. कलसिंग पुत्र वालू भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
17. श्रीमती चोका पत्नी वालू भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. गोतम पुत्र जीवणा भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
2. चोखला पुत्र जीवणा भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
3. कानु पुत्र जीवणा भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
4. माना पुत्र जीवणा भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
5. नारजी पुत्र जीवणा भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
6. बारजी पुत्र जीवणा भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
7. लालु पुत्र जीवणा भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
8. श्रीमती पुनी पत्नी जीवणा भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
9. कलजी पुत्र उंकार भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
10. दलीया पुत्र उंकार भील, निवासी शोभावटी, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
11. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये रास्व प्रतिनिधि तहसीलदार कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा (राज.)
12. जिला कलक्टर, बांसवाड़ा प्रतिनिधि राजस्थान सरकार

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त. अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़
दिनांक 28.05.2016, प्र.सं. 25/2012

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1— श्री महेन्द्रसिंह राठौड़ अभिभाषक अपीलान्टगण
2— श्री समर पण्डया अभिभाषक रे.सं. 1 से 8, 10
3— राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 व 12

———::———

निर्णय **दिनांक 11—12—2019**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 10 द्वारा अपीलान्टगण व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर ग्राम शोभावटी में आराजी नंबर 194, 267, 268, 269, 288, 305, 306 व 320 कुल किता 8 रकबा 15.92 एकड़ भूमि स्थित हैं, जो वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 की पैत्रृक होकर वादी संख्या 1 से 8 का 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 9 व 10 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 से 17 का 1/3 हिस्सा है एवं पक्षकारान इसी अनुसार मौके पर आपसी मौखिक व बाहमी बंटवारे से काबिज हैं, किन्तु भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं होने से वादीगण को स्वतंत्र उपयोग—उपयोग में बाधा होती है। अतः विवादित भूमियों का उपरोक्तानुसार विभाजन किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 से 17 की ओर से खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि दीता जी की निजी भूमि है, जिसके उत्तराधिकारी प्रतिवादीगण होकर काबिज हैं। वादीगण का उक्त भूमियों से कोई संबंध नहीं है, न ही उनका कब्जा है। अतः वादग्रस्त भूमियों बाबत् राजस्व अभिलेखों में अंकित त्रुटि को दुरस्त किया जाकर वादीगण का नाम हटाया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 17 को विवादित भूमियों का खातेदार घोषित किया जाकर स्थायी निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखा जाकर अपने निर्णय दिनांक 28—05—2016 से वादीगण का वाद स्वीकार कर बंटवाड़े की डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 10—08—2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मयाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण को उनके अधिवक्ता ने हर पेशी पर उपस्थित नहीं रहने एवं आवश्यकता होने पर बुलाने हेतु कह रखा था, किन्तु प्रकरण कैम्प में रखे जाने की कोई सूचना न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अथवा उनके अधिवक्ता को नहीं दी गयी। उक्त निर्णय व डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्टगण को दिनांक 05—06—2017 को हुई, जिस पर तत्काल नकलें प्राप्त कर अपील प्रस्तुत कर दी गयी है। अतः मयाद कण्डोन की जावे। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 8 व 10 की ओर से वकील श्री समर पण्डया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 11 व 12 औपचारिक पक्षकार की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

जहां तक दफा 5 जाब्ता दीवानी के आवेदन का प्रश्न है, प्रकरण राजस्व कैम्प में रखे जाने की सूचना अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को दिये जाने की कोई साक्ष्य पत्रावली के रेकार्ड पर नहीं है। अतः न्यायहित में एवं प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है, दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वकील मीमों में वर्णित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा बताया अधिनस्थ न्यायालय ने साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं किया है तथा अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को बिना कोई सूचना दिये तथा बिना नोटिस जारी किये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्टगण व उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम पर किसी प्रकार का विवेचन नहीं किया है। अतः अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किया जावे।

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का जवाब देने हेतु वादीगण द्वारा अवसर चाहा गया था, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया जाकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 18–05–2016 में नियत की गयी, किन्तु पत्रावली में बिना काउण्टर क्लेम का जवाब लिये तथा बिना काउण्टर क्लेम पर कोई निर्णय पारित किये नियत पेशी दिनांक 18–05–2016 के स्थान पर दिनांक 28–05–2016 को प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को दिये जाने की पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण के काउण्टर क्लेम पर पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11–02–2020 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–12–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को साक्ष्यों के अनुसार होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकार्ड व निर्णय का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण पारिवारिक बंटवाड़े का होकर विवादित भूमियों पर मकान व दुकानें बनी हुई हैं, जिनका पक्षकारों के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाना आवश्यक है। हमारे द्वारा यह भी पाया गया कि प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का जवाब देने हेतु वादी द्वारा अवसर चाहा गया था, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया जाकर पत्रावली आगामी तारीख पेशी दिनांक 18—05—2016 में नियत की गयी, किन्तु पत्रावली में बिना काउण्टर क्लेम का जवाब लिये तथा नियत पेशी दिनांक 18—05—2016 के स्थान पर दिनांक 28—05—2016 को राजस्व कैम्प में रखकर निर्णय पारित कर दिया गया, जिसकी किसी प्रकार की सूचना अपीलान्टगण/प्रतिवादीगण को दिये जाने की पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया प्राकृतिक न्याय एवं विधि के सिद्धान्तों के विरूद्ध होने से अपास्त योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28—05—2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण पारिवारिक बंटवाडे से संबंधित होने से पक्षकारान को विधिवत सुनवाई का अवसर देकर विवादित आराजियात पर बने मकान/दुकान को मद्देनजर रखते हुए विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष रखने हेतु दिनांक 11—02—2020 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11—12—2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू—प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.........मुकाम...............**उदयपुर**............
व इजलास ....**एम. एल. चौहान, आर.ए.एस.** ....

चुनिया पिता दिपा, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य बनाम **दिता पिता हड़िया, जाति भील, नि0 ग्राम भीमगढ़, तहसील कुशलगढ़, जिला बांसवाड़ा व अन्य**

अपील नं............**59/2016**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**........
..... **कुशलगढ़** .... मुकाम................मुवर्खे...........**22**...............माह..............**07**.............**2003**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........**22**....माह........**10**.......सन् **2016** रूबरू........**पक्षकारान** व हाजरी......**श्री दिलीप त्रिवेदी**....मिनजानिब अपीलान्ट व ....**श्री नन्दलाल पुरोहित** ....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 22–07–2003 यथावत रखी जाती है। .

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X...... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........**22**.....माह.......**10**...........**2016** को जारी किया गया ।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील			1. स्टाम्प वकालत नामा...		
2. स्टाम्प वकालत नामा			2. स्टाम्प अर्जी		
3. इजराय हुक्मनामा			3. इजराय हुक्मनामा		
4. वकील फीस बाबत			4. मेहनताना वकील...........		
मीजान			मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2020.01.03 12:22:09 IST
Reason: SelfAttested
Location: